Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

गुरबक्श सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 1 जी डी (ए) तहसील घडसाना आदि
बनाम
सरदारी बेवा किसनाराम जाति बावरी निवासी चक 2 जीडी आदि

किस्म मुकदमाः–शिकायत अ0धा0 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 प्रकरण संख्याः–02 / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
07.10.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील शिकायतकर्ता हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की तलवी रजिस्टर्ड ऐडी नोटिस से किये जाने के आदेश वकील शिकायतकर्ता को दिये गये थे। परन्तु अप्रार्थी को भेजे गये रजिस्टर्ड नोटिस की रसीदे वकील शिकायतकर्ता ने आज दिनांक तक पेश नहीं की है। अतः पत्रावली अदम पालना में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। चूंकि हस्तगत प्रकरण राज्य हित से संबंधित है। अतः तहसीलदार घडसाना को निर्देशित किया जाता है कि वे शिकायत प्रार्थना पत्र तथ्यों के संबंध में राजस्व रिकार्ड का भलीभांती अवलोकन करे। शिकायत प्रार्थना पत्र के तथ्य सही पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में नियमानुसार चाराजोई करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अरविन्द कुमार जाखड़) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (श्रीगंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner